न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

अपील मुकदमा नम्बर :— 83/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/187)

उनवानी प्रकरण :—

गणेश पुत्र भान्ता उम्र करीव 51 वर्ष जाति भोई निवासी ग्राम ओडेला तहसील व जिला धौलपुर ————————————अपीलान्ट

बनाम्

1—महादेवी पत्नी बनवारी जाति भोई निवासी बीच की गली ओडेला तहसील व जिला धौलपुर

2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ————————————रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 688 दिनांक 20.04.2015 बॉके ग्राम ताल ओडेला आदेश तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट

रेस्पोडेण्ट सं0 1की ओर से :— श्री सुवोध शर्मा एडवोकेट

रेस्पोडेण्ट सं0 2की ओर से :— पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 30.12.2022

प्रस्तुत अपील, अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 414 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम ताल ओडेला पटवार हल्का फिरोजपुर तहसील धौलपुर में रामश्री पत्नी श्री गोपाल जाति भोई निवासी कल्ला का पुरा तहसील बसेडी 1/3 भाग की खातेदार कृषक थी। रामश्री ने उक्त आराजी में से 379.16 वर्गगज भूमि अपीलान्ट को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2015 को विक्रय की। इस प्रकार अपीलान्ट विवादित आराजी में 379/2722 भाग का खातेदार कृषक हुआ। रामश्री ने अपने शेष हिस्से में से 5/36 भाग रेष्पोडेन्ट संख्या—1 महादेवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2015

को विक्रय कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपने अपने बयनामे नामान्तकरण हेतु पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का ने दो नामान्तकरण खोले जिनका क्रमांक 688 व 704 था परन्तु पटवारी हल्का ने दोनों ही नामान्तकरण दिनांक 12.02.2015 को हुये बयनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के नाम दर्ज कर दिये तथा अपीलान्ट के नाम का कोई नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तथ्यों व कानूनी प्रावधनों के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। किसी एक ही दस्तावेज के आधार पर दो नामान्तकरण नहीं किये जा सकते ना ही दो बार नामान्तकरण की प्रकिया अपनायी जा सकती है। नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट को आक्षेपित नामान्तकरण आदेश की जानकारी दिनांक 01.07.2020 को उस समय हुई जब उसने पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी हांसिल की। इस पर अपीलान्ट ने उभय नामान्तकरण संख्या 688 व 704 की प्रमाणित प्रति हासिल कर कार्यवाही हेतु अपने बकील श्री धीरज शर्मा को दे दीं उन्होनें त्रुटिवश नामान्तकरण संख्या 704 की अपील प्रस्तुत करदी तथा 688 की अपील प्रस्तुत नहीं की जबकि अपीलान्ट नामान्तकरण संख्या 688 से व्यथित था। नामान्तकरण संख्या 704 के विरूद्व की गयी अपील न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 06.07.2021 को खारिज फरमा दी गयी है जिसकी जानकारी अपीलान्ट के पूर्व अभिभाषक ने दिनांक 09.07.2021 को अपीलान्ट को दी जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया। नकल दिनांक 22.07.2021 को प्राप्त हुयी। तत्पश्चात अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 688 की पुनः नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 10.08.2021 को प्राप्त हुयी। नकल मिलने से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 688 बॉके ग्राम ताल ओडेला निरस्त फरमाया जावे तथा महादेवी के स्थान पर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण तस्दीक करवाये जाने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 688 बॉके ग्राम ताल ओडेला, नकल नामान्तकरण संख्या 704 ग्राम ताल ओडेला, असल बयनामा दिनांक 09.02.2015, प्रमाणित प्रति वयनामा तारीखी 12.02.2015, पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या–1 की ओर से की ओर से श्री सुवोध शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा राजीनामा पेश किया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 414 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम ताल ओडेला पटवार हल्का फिरोजपुर तहसील धौलपुर में रामश्री पत्नी श्री गोपाल जाति भोई 1/3 भाग की खातेदार कृषक थी। रामश्री ने उक्त आराजी में से 379.16 वर्गगज भूमि अपीलान्ट को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2015 को विक्रय की। इस प्रकार अपीलान्ट विवादित आराजी में 379/2722 भाग का खातेदार कृषक हुआ। रामश्री ने अपने शेष हिस्से में से 5/36 भाग रेष्पोडेन्ट संख्या–1 महादेवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2015 को विक्रय कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपने अपने बयनामे नामान्तकरण हेतु पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का ने दो नामान्तकरण खोले जिनका कमांक 688 व 704 था परन्तु पटवारी हल्का ने दोनों ही नामान्तकरण दिनांक 12.02.2015 को हुये बयनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के नाम दर्ज कर दिये तथा अपीलान्ट के नाम का कोई नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया । अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तथ्यों व कानूनी प्रावधनों के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। किसी एक ही दस्तावेज के आधार पर दो नामान्तकरण नहीं किये जा सकते ना ही दो बार नामान्तकरण की प्रकिया अपनायी जा सकती है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 688 बॉके ग्राम ताल ओडेला निरस्त फरमाया जावे तथा महादेवी के स्थान पर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण तस्दीक करवाये जाने के आदेश पारित किये जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपीलान्ट के कथनों को स्वीकार करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या–1 महादेवी की ओर से राजीनामा पेश किया। राजीनामा में कथन किया है कि नामान्तकरण संख्या 688 वाके ग्राम ताल औंडेला को निरस्त कर उस पर रेस्पो0संख्या–1 के नाम के स्थान पर अपीलार्थी गणेश के नाम के अंकन का आदेश प्रदान किये जाने में रैस्पोडेन्ट संख्या–1 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध

अपीलाधीन नकल नामान्तकरण संख्या 688 का अवलोकन किया जिसमें आराजी खसरा नम्बर 414 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम ताल ओडेला पटवार हल्का फिरोजपुर तहसील धौलपुर में रामश्री पत्नी श्री गोपाल जाति भोई 1/3 भाग की खातेदार कृषक दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा अनुसार रामश्री ने उक्त आराजी में से 379.16 वर्गगज भूमि अपीलान्ट को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2015 को विक्रय की है। रामश्री ने अपने शेष हिस्से में से 5/36 भाग रेष्पोडेन्ट संख्या–1 महादेवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2015 को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 704 है। इस प्रकार पटवारी हल्का ने दो नामान्तकरण खोले जिनका कमांक 688 व 704 है परन्तु पटवारी हल्का ने दोनों ही नामान्तकरण दिनांक 12.02.2015 को हुये बयनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के नाम दर्ज कर दिये तथा अपीलान्ट के नाम का कोई नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तथ्यों व कानूनी प्रावधनों के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। किसी एक ही दस्तावेज के आधार पर दो नामान्तकरण नहीं किये जा सकते। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह सावित होता है कि दिनांक 12.02.2015 को हुये बयनामा के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 688 व 704 दो नामान्तकरण दर्ज किये गये है। यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय कि अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह तथ्य उल्लेख किया है कि अपीलान्ट गणेश ने पूर्व में नामान्तकरण संख्या 704 को निरस्त कराने हेतु अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी जो दिनांक 06.07.2021 को खारिज की गई है। अतः ऐसी स्थिति में दोनो ही नामान्तकरण संख्या 688 व 704 को निरस्त कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2015 एवं 12.02. 2015 की जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाकर तहसीलदार धौलपुर को पुनः जॉच कर नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 688 दिनांक 20.04.2015 एवं नामान्तकरण संख्या 704 दिनांक 13.07.2015 वांके ग्राम ताल औंडेला तहसील धौलपुर निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.02. 2015 एवं 12.02.2015 को देखकर पुनः जॉच व उभयपक्षों की सुनवाई कर मुताविक बयनामा पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर (राज0)